राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

कमांकः–एफ.14(11)श्रम/विधि/2017 जयपुर, दिनांकः 9.5.2020

अधिसूचना

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम 31) की धारा 3 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थानों को उक्त अधिनियम की धारा 12 (1) के प्रावधानों से (दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान को सप्ताह में एक दिन बन्द रखने के प्रावधान से), इस अधिसूचना के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन छूट प्रदान करती है:–

1. नियोजक द्वारा सभी नियोजित कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन, बारी–बारी से, सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश दिया जावेगा।
2. नियोजित कर्मचारियो के कार्य के घण्टे प्रतिदिन 9 घण्टे तथा साप्ताहिक 48 घण्टे होंगे। यदि कर्मचारियों से निर्धारित कार्य समयावधि से अधिक कार्य लिया जाता है तो उसका रिकार्ड पृथक से संधारित किया जावेगा।
3. नियोजित प्रत्येक कर्मचारी से अधिसमय कार्य करवाये जाने पर मजदूरी का भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।
4. सभी नियोजित कर्मचारियों को नियोजक द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जावेगा तथा उसकी प्रति क्षेत्र के निरीक्षक को प्रेषित की जावेगी एवं इसकी प्राप्ति रसीद रिकार्ड में रखी जावेगी।
5. यह छूट केवल दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान के लिए है, कर्मचारी अधिनियम की समस्त धाराओं के तहत देय लाभों को प्राप्त करते रहेंगे।
6. यह छूट उपरोक्त शर्तो की नियोजक द्वारा अनुपालना किये जाने तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अध्यधीन रहेगी।
7. किसी दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान द्वारा उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर दी गई उक्त छूट स्वतः समाप्त मानी जावेगी तथा नियोजक इसके परिणामस्वरूप उक्त धारा एवं अन्य कानूनों के अंतर्गत विधिसम्मत कार्यवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

राज्यपाल के आदेश से,

(सुनीति मू)
अति0 श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव

कमांकः–एफ.14(11)श्रम/विधि/2017 जयपुर, दिनांकः 9.5.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, राज0, जयपुर।
4. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (मु0)/(औद्योगिक संबंध), मुख्यालय, जयपुर।
5. संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त/श्रम कल्याण अधिकारी(समस्त)
6. उपनिदेशक (A.C.P) IT Cell मुख्यालय जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का क्र.सं. 1 में वर्णित विभाग से प्रकाशन करावें।
7. गार्ड पत्रावली।

अति0 श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव

Scanned with CamScanner